वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कोटा (राजस्थान) स्थित श्री राम रेयन्स, मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० का एक एकक है और इसलिए यह एकक मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स क० लि० का ही एक अभिन्न अंग है। इसके में तो कोई भागीदार हैं और न ही मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स क० लि० के शेयरधारियों के अलावा इसके कोई स्वतन्त्र शेयरधारी हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दी दैनिक "अवन्तिका" के विरुद्ध आरोप**

5493. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वाणिज्य मन्त्री हिन्दी दैनिक 'अवन्तिका' के विरुद्ध आरोपों की जांच के बारे में 8 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3550, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच हिन्दी दैनिक 'अवन्तिका' के विरुद्ध आरोपों की जांच पूरी की जा चुकी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा उसके मालिकों तथा भागीदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है और मामला विचाराधीन है।

इस अवस्था में ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में सम्भव नहीं है।

**मैसर्स छगनलाल पांचूलाल, इंदौर द्वारा करों की चोरी**

5494. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक पत्र 19 अप्रैल, 1974 को तथा दूसरा पत्र अगस्त, 1974 के अन्तिम सप्ताह में कुछ संसद् सदस्यों से मिला था जिसमें मैसर्स छगनलाल पांचूलाल मोहन सदन, 614 स्नेह लता गंज, इंदौर के विरुद्ध करों तथा उत्पाद शुल्क की पर्याप्त मात्रा में चोरी के संबंध में शिकायत की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस फर्म के विरुद्ध इस बीच क्या कार्यवाही की गयी है और किन-किन विभागों द्वारा कार्यवाही की गयी है और उसका ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) इस मामले में एक संसद् सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से एक 8 जुलाई, 1974 का और दूसरा 28 अगस्त, 1974 का था। आय-कर विभाग द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है मध्य-प्रदेश के बिक्री कर विभाग ने मैसर्स छगनलाल पचूलाल के उज्जैन स्थित कार्यालय पर 6 अगस्त, 1974 को और इंदौर स्थित कार्यालय पर 10 अगस्त, 1974 को छापा मारा था। बिक्री कर विभाग द्वारा छापों में पकड़े गए दस्तावेज की जांच-पड़ताल भी चल रही है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिनियम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।